12-1-16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपा पत्रावली वास्ते कार्यवाही दि० 19-2-16 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
19-2-16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 5-4-16 को प्रस्तुत हो।
5-4-16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। वकुलाव वर्ग कामकाज से दूर। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 22-4-16 को प्रस्तुत हो।
22.4.16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपा पत्रावली वास्ते कार्यवाही दि० 12-5-16 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
12-5-16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपा पत्रावली वास्ते कार्यवाही दि० 18/5/16 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
12/5/16	प्रमुख शासन सचिव, जयपुर (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.12 (3) राज-1/2016 दिनांक 12.04.2016 एवं जिला कलक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/911-26 दिनांक 05.05.2016 के अनुसरण में तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार समन/नोटिस जारी होकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016/ कैम्प कोर्ट में दिनांक 18/5/16 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
18/5/16	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकुलाव फरीकेन उपा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वादी ने [illegible] 2018 R4 CPC का पेश किया जो शामिल मिसल हो। मिसल दस्तावेज [illegible] बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया बहस [illegible] किया। वादपत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी [illegible] निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि को छोड़कर विधिवत पैमाइश के बाद सड़क निर्माण करें। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	A 2/2 [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प खजवाना

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

A ?

राजस्व वाद संख्या :– 82/2009

1. पेमाराम पुत्र पाचाराम कौम माली निवासी कुचेरा तहसील व जिला नागौर
वादी

बनाम

1. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर वृत मूण्डवा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर
4. सरपंच ग्राम पंचायत खजवाना
5. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खजवाना

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री राधेश्याम सांगवा एडवोकेट — वादी

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया एडवोकेट — प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा–188 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :– 18/5/16

वादी ने जरिए अधिवक्ता एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा–188 आरटीएक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

वादी का एक खातेदारी खेत मौजा खजवाना में खेत ख.नं. 1138/1570 रकबा 14.15 बीघा आया हुआ है उक्त खेत पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा उक्त खेत को वादी ने पूर्व में बाबुलाल पुत्र मुडराम जाट निवासी कुचेरा वाले से खरीद किया था। मौके पर वादी ही काश्त करता आ रहा है।

उक्त वादी के खेत खसरा नम्बर 1138/1570 रकबा के चिपता अथूणी तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ है जो कटाणी रास्ता करीब 66 फुट चौडा आया हुआ है जो रास्ता आज दिन चालू है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने गलत नाप कर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 से मिल कर वादी के खेत में सें सडक निकालने पर उतारू है

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

जो कि उक्त रास्ता को छोड कर कटाणी रास्ता होते हुए भी गलत प्रकार से वादी के खेत में सें सडक निकालने पर आमादा है। जो सडक प्रतिवादीगण द्वारा गलत प्रकार से व अवैध तरीके से निकालना चाहते है तथा वादी को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते है। यदि ऐसा करने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी को अपने खेत से महरूम होना पडेगा।

वादी के खेत के चिपता ही आथूणी दिशा में कटाणी रास्ता 66 फुट चौडा है जो रास्ता वर्षो से चला आ रहा है तथा राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है उसी रास्ता पर ग्रेवल सडक का निर्माण करना चाहिये था परन्तु गलत प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा करवाया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने गलत नाप कर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से गलत प्रकार से मिलावट कर तथा अन्य खेतों वालों से साठगाठ कर उक्त ग्रेवल सडक ग्राम पंचायत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के द्वारा नरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध करवा कर उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण करवाने पर आमादा है। ऐसा करने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी के अधिकारों पर कुठाराधात होगा तथा वादी का खेत नष्ट हो जोयगा।

वादी के खेत में अभी फसल खडी है तथा अन्य खातेदारों ने गलत प्रकार से साठ गाठ कर तथा गलत प्रकार से उक्त सडक को वादी के खेत में सें निकालने पर आमादा है यदि ऐसा करने में सफल हो गये तो वादी के खेत की खडी फसल को भारी नुकसान होगा तथा वादी काश्त से महरूम होगा। वादी के खेत में बडी–बडी फसल खडी है तथा वादी के खेत में गलत प्रकार से रास्ता निकाल रहे तथा कटाणी रास्ता को छोडकर उक्त सडक का निर्माण करवाने में आमादा है जो गलत प्रकार से नरेगा के तहत् ग्रेवल सडक निकाल रहे है इसलिए उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण कटाणी रास्ता एंव मौके पर जो रास्ता कायम है तथा वर्षो से चला आ रहा है उसी अनुसार ग्रेवल सडक का निर्माण करवाया जाना उचित एंव न्यायसंगत है। वादी के खेत में प्रतिवादीगण द्वारा जान बूझकर तथा वादी को भारी नुकसान करने हेतु उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण करवाना चाहते है। जो सडक गलत प्रकार से है तथा मौके व राजस्व रेकर्ड के विपरीत सडक का निर्माण कर रहे है जिसको तुरन्त प्रभाव से रोका जाना उचित एंव न्यायसंगत है।

वाद हेतुक वादी का खातेदारी खेत होने तथा खेत के आथूणी तरफ कटाणी रास्ता होने तथा उक्त रास्ता 66 फुट चौडा होने तथा मौके पर कटाणी रास्ता चालू होने तथा उक्त रास्ता को छोड कर वादी के खेत में उक्त ग्रेवल सडक निकालने पर आमादा होने तथा वादी के खेत में खडी फसल को प्रतिवादीगण द्वारा नष्ट करने तथा गलत प्रकार से मौके पर जो रास्ता होने व उस रास्ता को छोड कर वादी के खेत में अवैध ग्रेवल सडक निकालने पर आमादा हुआ है। जिस कारण से बिनाय वाद पैदा हुआ है।

सहायक कलक्टर (पू.)
सांचोर

A 7/3

वादी ने प्रार्थना कि डिक्री वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से सादिर फरमाई जावें कि–

1. वादी के खेत खसरा नम्बर 1138/1570 रकबा 14.15 बीघा मौजा खजवाणा में प्रतिवादीगण द्वारा ग्रेवल सडक निर्माण करने से स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।
2. प्रतिवादीगण को स्थाई निषेध आज्ञा से रोका जावे कि वादी के खेत मे ख.नं. 1138/1570 रकबा 14.15 बीघा में किसी भी प्रकार से ग्रेवल सडक का निर्माण करने से पाबंद किया जावें।
3. वादी के खेत के चिपता ही आथूणी तरफ कटाणी रास्ता स्थित है उसी पर ग्रेवल सडक निर्माण करने हेतु पाबंद किया जावें।
4. अन्य अनुतोष जो वादी के लाभार्थ हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

प्रार्थीगण भागाराम पुत्र मंगलाराम, मूलीदेवी बेवा हरीराम बेहैसियत स्वयं एंव बेहैसियत वली नाबालिग पप्पु, सज्जन पुत्रगण हरीराम, ज्यानी देवी बेवा मंगलाराम जाट ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया।

वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि वादगत खसरा उनकी खातेदारी भूमि है। जिसकी पूर्व की स्थिति की जानकारी दिया जाना वाद में आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण का कोई हित है तो अलग से कोई दावा पेश किया जावें। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रार्थीगण की भूमि कौनसी है तथा प्रार्थीगण वादगत भूमि से किस प्रकार हितबद्ध है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण इस विभाग से सम्बधित नहीं है। कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम इस प्रकरण से हटाये जावें।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया ग्राम खजवाना के खसरा नम्बर 1138/1570 की 14.15 बीघा भूमि मे प्रतिवादीगण को ग्रेवल सडक से निर्माण में रोकने तथा आथूणी तरफ कटाणी मार्ग पर ग्रेवल सडक बनवाने हेतु पाबंद करवाने के लिए वादी हकदार है।

(जिम्मे वादी)

A 7/4

2. अनुतोष

वादी ने गवाह के रूप में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि नकल खतौनी संवत् 2064–67 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 है।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने रेकर्ड व शपथ पत्र के आधार पर वादी का अनुतोष स्वीकार किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी ने यह वाद ग्राम खजवाना के खसरा नम्बर 1138/1570 की 14.15 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने से रोकने हेतु पेश किया है। अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 पेश की है। जिसके अनुसार वादी वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन किया गया है कि वादी के भूमि के आथूणी तरफ कटाणी मार्ग पर ग्रेवल सडक का निर्माण किया जा रहा है। वादी के खातेदारी अधिकारों के संबंध में कोई आक्षेप नहीं लिया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को चिर निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि को छोडकर विधिवत पैमाईश के बाद सडक निर्माण करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18/5/16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर